भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 119

10 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

एनएफएसए के अंतर्गत लाभार्थियों का कवरेज

119. श्री संदोष कुमार पी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत लाभार्थियों की मौजूदा कवरेज जनसंख्या के 67 प्रतिशत की वैधानिक सीमा से कम है;

(ख) एनएफएसए के अधिदेश और उच्चतम न्यायालय के 2024 के निर्देशों का पालन करते हुए मुफ्त राशन योजना में और अधिक लोगों को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विशिष्ट कदम क्या हैं; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के लिए लाभार्थियों की कवरेज में कितनी अनुमानित वृद्धि करने की योजना है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 119 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत ग्रामीण जनसंख्या के 75% और शहरी जनसंख्या के 50% तक को निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने का प्रावधान करता है, इस प्रकार लगभग 67% निर्धनतम जनसंख्या को कवर करता है, जो जनगणना 2011 के अनुसार 81.35 करोड़ है। अधिनियम के तहत कवरेज काफी अधिक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के सभी कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को इसका लाभ मिल सके।

वर्तमान में, 81.35 करोड़ लोगों को शामिल करने के लक्ष्य के तुलना में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 80.56 करोड़ लोगों की पहचान की है, जो लक्ष्य अर्थात 81.35 करोड़ व्यक्ति का लगभग 99.02% है। फिर भी, एनएफएसए के तहत 0.79 करोड़ और लाभार्थियों की पहचान करने की गुंजाइश है।

राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्य के लिए निर्धारित दायरे के भीतर, उनके द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी पात्र परिवारों को शामिल किया जाए और उन्हें अधिनियम के तहत उनके हक के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए।

अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 2 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार धारा 9 के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित व्यक्तियों की संख्या के भीतर पात्र परिवारों की सूची को उपधारा (1) के अंतर्गत दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अद्यतन करेगी। इस संबंध में, केंद्र सरकार ने समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शी जारी की हैं ताकि अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों सहित सभी पात्र और गरीब व्यक्तियों/परिवारों की पहचान की जा सके। राज्य अपने लाभार्थी डेटाबेस को अद्यतन करते हैं ताकि अपात्र राशन कार्ड हटाए जा सकें और सही लाभार्थियों को बेहतर ढंग से लक्षित किया जा सके। अपात्र लाभार्थियों को हटाने और पात्र लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, जो यह सुनिश्चित करती है कि लाभार्थी डेटाबेस गतिशील, अद्यतन और सटीक बना रहे।

केंद्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय से, उन्नत डेटा विश्लेषण और यथोचित डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी का उपयोग करते हुए, सही लाभार्थियों को लक्षित करने की एक व्यापक पहल शुरू की है। यह डैशबोर्ड परिभाषित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) पर

...2/-

आधारित एक केंद्रीकृत निगरानी उपकरण के रूप में विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य लाभार्थी अभिलेखों में संभावित विसंगतियों की पहचान करना है। प्रमुख केपीआई में - मूक राशन कार्ड धारक लाभार्थी (6 महीने से अधिक समय से राशन नहीं लिया गया), आधार और जनसांख्यिकीय मिलान के माध्यम से पहचाने गए डुप्लिकेट लाभार्थी, आधार स्थिति सत्यापन के माध्यम से पहचाने गए मृत लाभार्थी, 100 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी, 18 वर्ष से कम आयु के एकल सदस्य वाले राशन कार्ड धारक, एमसीए डेटाबेस के माध्यम से पंजीकृत फर्मों में निदेशक/साझेदार के रूप में चिह्नित लाभार्थी, पीएम-किसान डेटा के माध्यम से अधिक भूमि वाले लाभार्थी, सीबीडीटी अभिलेखों के अनुसार राज्य मानदंड या ₹6 लाख से अधिक आय वाले लाभार्थी, वाहन डेटाबेस के अनुसार चार पहिया वाहन के मालिक लाभार्थी, और जीएसटीएन/सीबीआईसी अभिलेखों के अनुसार ₹25 लाख से अधिक जीएसटी कारोबार वाले लाभार्थी शामिल हैं। मई 2025 से, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नियमित रूप से यह सत्यापन प्रक्रिया चला रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप 2.18 करोड़ अपात्र लाभार्थियों को हटा दिया गया है। इससे अधिनियम के अंतर्गत नए पात्र लाभार्थियों की पहचान करने का अवसर मिला है।
